

मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांक: 17.11.2023

“ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के नेतृत्व में अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को करायी गयी 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 20,000/- अर्थदण्ड की सजा —

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन , वाराणसी "राम कुमार" के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर "आर.पी.सिंह" के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट , हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है। उक्त अभियान के क्रम में थाना पड़री पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी। जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मीरजापुर द्वारा आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 20,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक: 16.09.2016 को एक व्यक्ति द्वारा थाना हलिया पर नामजद अभियुक्त के विरुद्ध वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी। जिसके आधार पर थाना हलिया पर मु0अ0सं0-418/2017 धारा 376 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत कर त्वरित कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा गया था। पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा “ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने की घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना हलिया पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया। अभियोजन अधिकारी-सुनीता गुप्ता , विवेचक निरीक्षक किरन कुमार सिंह , पैरोकार- मुख्य आरक्षी आलोक कुमार सिंह व कोर्ट मुहर्निर आरक्षी-अखिलेश खरवार द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी। जिसके फलस्वरूप मा0न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मीरजापुर द्वारा अन्तर्गत धारा 376 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्ध अभियुक्त ददोली आदिवासी उर्फ दाढ़ी पुत्र भूलन निवासी सोनगढ़ा थाना हलिया जनपद मीरजापुर को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 20,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सजायाफ्ता अभियुक्त —

ददोली आदिवासी उर्फ दाढ़ी पुत्र भूलन निवासी सोनगढ़ा थाना हलिया जनपद मीरजापुर।